

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	वैशाख 31, गुरुवार, शके 1948- मई 21, 2026 Vaisakha 31, Thursday, Saka 1948- May 21, 2026	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 06, 2025

संख्या प.9(27)राज-1/2025-25047:- राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या--15) की धारा 16, में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत जिला कलक्टर, जैसलमेर एवं राजस्व मण्डल अजमेर से प्राप्त प्रस्ताव/अनुशंसा के अनुरूप राज्य सरकार एतद्वारा निर्देश देती है कि जैसलमेर जिले की तहसील रामगढ़ एवं फलसूण्ड के मूल राजस्व ग्राम से लगती हुई, नीचे दी गई सारणी के कॉलम संख्या-7 में अंकित मजरा/ढाणियों को एतदपश्चात् राजस्व ग्राम के रूप में माना जाकर अभिलेखित किया जावेगा एवं इनका वर्तमान क्षेत्रफल मूल राजस्व ग्राम की कुल देह में से कम होकर कॉलम संख्या-9 के अनुसार है:-

क्र. सं.	जिला / तहसील	ग्राम पंचायत / पंचायत समिति	मूल राजस्व ग्राम का विवरण			नवीन राजस्व ग्राम का विवरण			दूरी KM	मूल ग्राम का शेष क्षेत्रफल (है. में)
			ग्राम का नाम	जन सं ख्या 201 1	क्षेत्रफल (है. में)	ग्राम का नाम	जन सं ख्या 201 1	क्षेत्रफल (है. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	जैसलमे र / रामगढ़	पूनमन गर / सम	पूनमनग र LG Code 85884	256 9	1550 2.886 4	राजनगर Rajnagar	416	1983. 4091	16.0 3	13519. 4773
2	जैसलमे र / फलसूण्ड	बलाड / भणिया	रूपसर LG	109 8	1362. 3294	श्रीकरणग ढ़	325	631.0 020	3.10	731.32 74

						rh				
3		बांधेवा / भणिया णा	बांधेवा LG Code 86831	203 2	1527. 314	जुनेजों की बस्ती Junejo Ki Basti	721	724.5 157	5	802.79 83

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 107 में निहित प्रवधानों के तहत उक्त मूल राजस्व ग्रामों एवं नवघोषित राजस्व ग्रामों के खसरा जमाबन्दी, नक्शे आदि अभिलेखों को पृथक कर उनके संधारण हेतु **जिला कलक्टर, जैसलमेर** को अधिकृत किया जाता है। जिला कलक्टर उक्त ग्रामों के अभिलेखन कार्य निष्पादन की सूचना से राज्य सरकार को भी सूचित करेंगे।

आज्ञा से,

हरि सिंह मीना,
शासन उप सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।